नईदुनिया

संपादकीय

ट्रंप के फैसले का विरोध

राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने आनन-फानन अनेक कड़े फैसले और एलान कर डाले, उससे स्वाभाविक ही दुनिया भर में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। सबसे कड़ा फैसला उन्होंने अमेरिका में जन्म के साथ ही हर बच्चे को स्वत- वहां की नागरिकता मिल जाने संबंधी कानून को रद्द करने का किया। इस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले वहां के बाईस राज्यों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दे दी है।

भारतीय मूल के सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन के अधीन काम करने वाली कई संस्थाओं ने इसे अदालत में चुनौती दी है। जाहिर है, ट्रंप प्रशासन के लिए इस फैसले पर आगे कदम बढ़ाना आसान नहीं रह गया है। जन्म के साथ नागरिकता का कानून अमेरिकी संविधान में वर्णित है, इसलिए उसे बदलने पर विरोध की आशंका पहले ही क्षण से जताई जाने लगी थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी कानून को लागू करने या बदलने को लेकर असीमित अधिकार प्राप्त हैं, पर वहां की कानून-व्यवस्था ऐसी है कि राष्ट्रपति भी उससे ऊपर नहीं हैं।

दरअसल, ट्रंप शुरू से अवैध घुसपैठ और आव्रजन संबंधी नियमों में लचीलेपन के खिलाफ रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कहा था कि आव्रजन नियमों में कमजोरी का लाभ उठा कर बहुत सारे लोग दूसरे देशों से आ जाते हैं और वे अमेरिकी युवाओं का हक मारते और संसाधनों का उपभोग करते हैं। सीमाओं पर सख्त निगरानी न होने के कारण हर वर्ष लाखों लोग अवैध रूप से घुस आते हैं। ट्रंप ऐसे हर विदेशी नागरिक को अमेरिका से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने सीमाओं पर आपातकाल लगा दिया और वहां सेना भेजने का फरमान जारी कर दिया। ऐसा नहीं कि ट्रंप से पहले अवैध घुसपैठियों पर नजर नहीं रखी जाती थी या गलत तरीके से आए लोगों को वापस नहीं भेजा जाता था। मगर ट्रंप जिस तरह विदेशी नागरिकों का वहां से सफाया करना चाहते हैं, उसे किसी भी लोकतांत्रिक देश का कदम नहीं माना जा सकता।

अवैध घुसपैठ नि:संदेह अमेरिका के सामने बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का विरोध नहीं किया जा सकता। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि वैध रूप से वहां रह रहे लोगों को भी नाहक निशाने पर ले लिया जाए। इससे विदेशी नागरिकों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, अमेरिका को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

शपथ ग्रहण से पहले जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे एच वन-बी वीजा खत्म करेंगे, तब उनके करीबी एलन मस्क ने ही सबसे पहले उसका विरोध किया था। इसके पीछे वजह यही थी कि ऐसे फैसले से दूसरे देशों से तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल लोगों को लाना कठिन हो जाएगा। अमेरिका बेशक दुनिया का संपन्न देश है, पर हकीकत यह भी है कि बहुत सारे तकनीकी मामलों में उसके पास कुशल और विशेषज्ञ नागरिक नहीं हैं। जिस तरह भारी शुल्क थोपने से दूसरे देशों में अमेरिका का भी बाजार सिकुड़ जाएगा, उसी तरह विदेशी नागरिकों को वहां से निकाल बाहर करने या प्रवेश रोकने पर उसके औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप कुशल व्यवसायी हैं और इतने कड़े तथा व्यापक विरोध के बावजूद, वे नहीं चाहेंगे कि जन्मजात मिलने वाली नागरिकता के कानून पर विवाद लंबा खिंचे।

आत्मनिर्भरता के साथ रक्षा क्षेत्र में भारत की मजबूती

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

हमारा राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है, जो सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संचालन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके हमारे महान राष्ट्र को कमजोर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों में उग्रवादी नक्सलियों को विकसित कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए बौद्धिक शहरी नक्सलियों को भी विकसित कर रहे हैं। हम पहले से जानते हैं कि यदि कोई देश सैन्य रूप से कमजोर है और उसके पास मजबूत हथियार, आयुध और गोला-बारूद की कमी है तो अन्य देश स्थिति का लाभ उठाएँगे, जैसा कि हमने 2014 से पहले देखा है। मोदी शासन के पिछले दस वर्षों में स्थिति बदल गई है। आईए देखें कि हमारी रक्षा स्थिति सैन्य और वित्तीय दोनों रूप से कैसे बदल गई।

रक्षा में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत का समर्पण एक प्रमुख हथियार आयातक से स्वदेशी निर्माण के उभरते केंद्र में इसके परिवर्तन से प्रदर्शित होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक सरकारी नीतियों द्वारा संचालित घरेलू रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की। पहले अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला भारत अब अपनी सुरक्षा मांगों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर विनिर्माण को प्राथमिकता देता है, जो राष्ट्रीय लचीलापन सुधारने और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की उसकी महत्वाकांक्षा की पुष्टि करता है।

भारत के रक्षा उत्पादन में वृद्धि-वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन को जाता है। डीपीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपये से 174 प्रतिशत बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ऐतिहासिक रूप से, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, जिसमें लगभग 65-70 प्रतिशत रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे। हालाँकि, माहौल काफी बदल गया है, अब 65 प्रतिशत से अधिक रक्षा उपकरण भारत में बनाए जाते हैं। यह परिवर्तन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसके रक्षा औद्योगिक आधार की ताकत को उजागर करता है, जिसमें 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियाँ और लगभग 16,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं।

उल्लेखनीय रूप से इस उत्पादन का 21 प्रतिशत निजी क्षेत्र से आता है, जो भारत के आत्मनिर्भरता के मार्ग को बढ़ावा देता है। धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस), मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस, पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कोरवेट और हाल ही में कमीशन किए गए आईएनएस विक्रांत जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विकसित किए गए हैं, जो भारत की बढ़ती रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। वार्षिक रक्षा उत्पादन रु.1.27 लाख करोड़ से अधिक हो गया है और चालू वित्त वर्ष में रु. 1.75 लाख करोड़ को पार करने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन को बढ़ाकर रु.3 लाख करोड़ करना है, जिससे वह खुद को दुनिया भर में विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर सके। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में ?686 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में रु.21,083 करोड़ हो गया है, यह उपलब्धि सरकार द्वारा किए गए प्रभावी नीतिगत सुधारों, पहलों और व्यापार करने में आसानी में सुधार का परिणाम है, जिसका लक्ष्य रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो रु.15,920 करोड़ थी। भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में उन्नत रक्षात्मक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट, डोर्नियर (डीओ-228) विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, त्वरित इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉरपीडो। एक उल्लेखनीय विशेषता रूसी सेना के उपकरणों में मेड इन बिहार बूटों को शामिल करना है, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही देश के मजबूत विनिर्माण मानकों को भी प्रदर्शित करता है।

भारत वर्तमान में 100 से अधिक देशों को निर्यात करता है, जिसमें 2023-24 में रक्षा निर्यात के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया पहले से तीसरे स्थान पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है द्य प्रमुख सरकारी पहल हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी परियोजनाएँ शुरू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण में सुधार करना और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमाओं को उदार बनाने से लेकर स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने तक, ये कदम भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

निम्नलिखित बिंदु उन महत्वपूर्ण सरकारी प्रयासों का सारांश देते हैं जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदारीकृत एफडीआई नीति: 2020 में, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था और आधुनिक तकनीकों तक पहुँच की उम्मीद करने वालों के लिए सरकारी मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। 9 फरवरी, 2024 तक, रक्षा फर्मों ने ?5,077 करोड़ का एफडीआई घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय का 2024-25 के लिए बजट आवंटन रु 6,21,940.85 करोड़ है, जो कि मौजूदा बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की गई अनुदान मांग का हिस्सा है।

घरेलू खरीद को प्राथमिकता: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 घरेलू स्रोतों से पूंजीगत उत्पादों की खरीद पर जोर देती है।

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ: सेवाओं की कुल 509 वस्तुओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) से 5,012 वस्तुओं की पाँच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना, निर्दिष्ट समय सीमा के बाद आयात पर प्रतिबंध के साथ तैयार की गई है।

सरलीकृत लाइसेंस प्रक्रिया: औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लंबी वैधता अवधि प्रदान करना। निष्कर्ष रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का मार्ग आयात पर निर्भरता से आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र बनने की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है। घरेलू उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और मजबूत रक्षा उपायों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

नकली दुनिया की पोल खोलता आईआईटी बाबा

डॉ. सत्यवान सौरभ

एक दिन जब आईआईटी बाबा अभय सिंह का वीडियो देखा तो मेरा नजरिया बदल गया। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है- मसलन, आईआईटी बॉम्बे की डिग्री, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करियर और एक ऐसा जीवन जिसकी ज्यादातर लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह चलने के बजाय उन्होंने ऐसा चुनाव किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने ज्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सब कुछ त्याग दिया। पहले यकीन नहीं हुआ-कोई इतना उज्ज्वल भविष्य क्यों छोड़ेगा? लेकिन जैसे-जैसे उन्हें बात करते सुना, सब कुछ समझ में आने लगा। उन्होंने जीवन में वास्तविक उद्देश्य, शांति और अर्थ खोजने के महत्त्व पर चर्चा की- ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी धन या सफलता खरीद नहीं सकती।

यह एक प्रेरक कहानी थी। इसने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन सिर्फ समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने या भीड़ का अनुसरण करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपना रास्ता खोजने के बारे में है। मैंने पहले सोचा,एक आईआईटीयन इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपनी उच्च-भुगतान वाली आलीशान नौकरी छोड़ दे? वह अपनी दो डिग्रियाँ कैसे बर्बाद कर सकता है? फिर मुझे समझ में आया कि बचपन का सदमाशब्द बहुत सारे नकारात्मक अर्थ रखता है। उनके साक्षात्कार वीडियो पर टिप्पणियाँ पढ़कर मुझे और भी बुरा लगा। जहाँ कई लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे,वहीं दूसरे लोग उन्हें नज़रअंदाज़ कर रहे थे। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से उनका बचाव करना नहीं है।

बहुत शोर मचाया जा रहा है कि आईआईटी बाबा ने सरकारी फंड वाली सीट बर्बाद कर दी। मेरी राय में जो लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें कुछ बुनियादी बातों को समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद अभय सिंह को आईआईटी में दाखिला मिल गया और उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। उन्होंने कोर्स में कोई बाधा नहीं डाली। फिर,इस तर्क से आईआईटी के बाद एमबीए और यूपीएससी करने वालों ने सीटें बर्बाद कर दीं। तो फिर, मुझे बताइए कि उन्होंने सीटें कैसे बर्बाद कीं। अगर उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया होता तो भी यह तर्क कुछ हद तक सही होता, लेकिन चूँकि उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग पूरी की है इसलिए किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अपनी सीट बर्बाद कर दी।

देखिए कि उनका नजरिया कितना बेहतरीन है। उनके पास सबकुछ था- सबसे अच्छी औपचारिक शिक्षा, सबसे अच्छी नौकरी, विदेश यात्रा, गर्लफ्रेंड और रिश्ते। फिर उन्होंने अपने अंदर खालीपन महसूस किया और संन्यास की राह पर चलने का फैसला किया। मुझे कहना होगा कि वे एक ईमानदार व्यक्ति लगते हैं। वे हरियाणा के मूल निवासी हैं। झज्जर, हरियाणा में ही उनका जन्म हुआ। उनकी माँ घर पर रहती हैं जबकि उनके पिता वकालत करते हैं। उन्होंने झज्जर में पढ़ाई की। वे कम उम्र से ही असाधारण छात्र थे। आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। फिर उन्हें तीन लाख रुपये का पैकेज मिला और वे अपनी नौकरी के लिए कनाडा चले गए। लॉकडाउन के कारण वे कनाडा में ही फंस गए। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन पर अधिक चिंतन करना शुरू किया।

भारत आने के बाद वे एक नए आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। वे बहुत-सी तीर्थयात्राओं पर गए। वे अपनी वर्तमान जीवनशैली से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए वे बहुत आध्यात्मिक हो गए। वे हमेशा अपना घर छोड़ना चाहते थे। आध्यात्मिक शब्दावली में वह चीज जो सब कुछ पार कर जाती है उसे सत्य कहा जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हर कोई मेरी आईआईटी डिग्री को ही दर्शाता है। मैं उस पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। व्यक्तिगत रूप से मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ। उन्होंने सत्य की खोज में सभी सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए आध्यात्मिकता की ओर अपनी यात्रा शुरू की। चूँकि उन्होंने होशपूर्वक जीवन जिया और चले गए इसलिए उनके विचार बहुत शुद्ध हैं। इसलिए, कृपया उन्हें पाखंडी कहना बंद करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वे ईमानदार और प्रतिबद्ध हैं। सत्य और जीवन के उद्देश्य की निरंतर खोज के माध्यम से ही औसत व्यक्ति आध्यात्मिकता से प्रबुद्ध होता है। यू ट्यूबर ने बाबा अभय सिंह का साक्षात्कार लिया। इसके बाद, उन्होंने खुलासा किया कि आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ छोड़ने से पहले वे आईआईटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे थे।

अभय सिंह चाहते तो अपने आईआईटी के नाम का इस्तेमाल एक सफल व्यवसाय शुरू करने और बाबा बनने के लिए कर सकते थे। हमने बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं को देखा होगा जो खुद को मार्केट करने के लिए आईआईटी, आईआईएम टैग का इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यू के दौरान,अभय सिंह ने पहले रिपोर्टर को यह भी नहीं बताया कि वह एक आईआईटीयन हैं। अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में रिपोर्टर के सवाल के जवाब में अभय सिंह ने जवाब दिया, हाँ, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ। अभय सिंह ने सच की तलाश करके वाकई मिसाल कायम की है। आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं कि वह कितने ज्ञानी हैं। प्रशंसा वास्तव में उस व्यक्ति की है जिसने सब कुछ त्याग दिया है और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। उसने सत्य की खोज में सभी सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए आध्यात्मिकता की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जो शून्य हैं वही शिव से मिल सकते हैं उनके दो उद्धरणों में से एक है जिसे हमेशा याद रखूँगा- कहाँ जाओगे चलते चलते? यहीं आओगे।

आजकल

उत्तराखंड में यू.सी.सी.

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशन आदि के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यूसीसी के कुशल क्रियान्वयन के लिये अत्याधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। जिसके लिए नागरिकों व अधिकारियों के लिये ऑनलाइन पोर्टल तैयार किए गए हैं।

यूसीसी के अंतर्गत विभिन्न पंजीकरण मसलन विवाह, तलाक, विवाह शून्यता, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि होंगे। सरकार ने त्वरित पंजीकरण के लिये अलग शुल्क भी निर्धारित किए हैं। सरकार का दावा है कि लिव इन रिलेशन के पंजीकरण व समाप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। एक साथी की ओर से समाप्ति के आवेदन पर दूसरे की पुष्टि अनिवार्य होगी। उल्लेखनीय है कि समान नागरिक संहिता के वेबपोर्टल के उपयोग की शुरुआत फिलहाल सरकार की मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। नि:संदेह, देश में पहली बार समान नागरिक संहिता को लागू करना उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक कदम है। जो सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करने के लक्ष्य को निर्धारित कर राज्य में समानता और न्याय की राह में कदम बढ़ाता है। हालांकि, कानून के विशेषज्ञ कुछ खमियों की ओर भी इशारा करते हैं। फाइलों में यह कोड एक साहसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

मसलन विवाह व लिव इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह और निकाह हलाला पर प्रतिबंध और बच्चों के लिये समान विरासत अधिकार देता है, चाहे उनके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में स्त्री के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करके समतामूलक समाज की स्थापना का वायदा करता है। एक मायने में यह लैंगिक न्याय और प्रगतिशील सोच व आधुनिक मूल्यों का प्रतीक है। लेकिन जब हम इसके प्रावधानों का गहराई से मूल्यांकन करते हैं तो कई तरह की विसंगतियां सामने आती हैं।

शुष्क भूमि विस्तार से उपजा मानवीय संकट

मुकुल व्यास

हाल के दशकों में पृथ्वी की तीन-चौथाई से अधिक भूमि स्थायी रूप से शुष्क हो गई है। जलवायु संकट के प्रभावों से जूझ रही दुनिया के लिए शुष्क भूमि का विस्तार होना नई चिंता पैदा करता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 तक के तीन दशकों में पृथ्वी की लगभग 77.6 प्रतिशत भूमि ने पिछले 30 साल की अवधि की तुलना में शुष्क परिस्थितियों का अनुभव किया। उन्हीं तीन दशकों में, शुष्क भूमि का विस्तार लगभग 43 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ जो अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी की सभी भूमि का 40.6 प्रतिशत हिस्सा है। इस समय सीमा के भीतर, वैश्विक भूमि का लगभग 7.6 प्रतिशत क्षेत्र शुष्कता की सीमा को पार कर गया। अधिकांश आर्द्र भू-भाग शुष्क भूमि में परिवर्तित हो गए, जिससे कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और उन पर निर्भर लोगों पर गहरा असर पड़ा।

वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि दुनिया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाती है, तो इस सदी के अंत तक आज के आर्द्र क्षेत्रों का 3 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र शुष्क भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट वैश्विक शुष्कता रुझान तथा भविष्य के अनुमान के बारे में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। यह अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र भूमि सम्मेलन था। पश्चिम एशिया में यह पहली बैठक थी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो शुष्कता के प्रभावों से व्यापक रूप से प्रभावित है। रियाद बैठक में पहली बार शुष्कता के संकट को वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया। मानव-जनित जलवायु परिवर्तन इस संकट का प्राथमिक चालक है।

बिजली उत्पादन, परिवहन, उद्योग और भूमि-उपयोग परिवर्तनों से होने वाले उत्सर्जन ग्रह को गर्म कर रहे हैं और वर्षा के पैटर्न, वाष्पीकरण दर और पौधों के जीवन को बदल रहे हैं। ये स्थितियां बढ़ती शुष्कता को रेखांकित करती हैं।

कुल मिलाकर विश्व स्तर पर शुष्क भूमि का विस्तार हो रहा है। 2020 तक 2.3 अरब लोग यानी दुनिया की आबादी के एक-चौथाई से भी ज्यादा लोग विस्तारित शुष्क भूमि में रह रहे थे। शुष्कता से संबंधित भूमि क्षरण, जिसे मरुस्थलीकरण के रूप में जाना जाता है, मानव कल्याण और पारिस्थितिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। इस दिशा में ठोस कार्रवाई के बिना भविष्य और भी अधिक निराशाजनक हो सकता है। सबसे खराब उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत, सदी के अंत तक पांच अरब लोग शुष्क भूमि पर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति का मतलब होगा मिट्टी का क्षय, जल संसाधनों की कमी और मानवता के बड़े हिस्से के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का ढहना।

आज दुनिया के कुछ सबसे शुष्क क्षेत्रों में पहले से ही जबरन पलायन दिखाई दे रहा है। जैसे-जैसे भूमि अनुपयोगी होती जाती है और खेती विफल होती जाती है, परिवारों और समुदायों के पास अक्सर स्थानांतरित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इससे वैश्विक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समस्त भूमि का पांचवां हिस्सा अचानक पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तनों से गुज़र सकता है। इनके प्रभावों से जंगल घास के मैदानों में बदल सकते हैं। दुनिया के कई पौधों और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में एक अन्य अध्ययन में दुनिया के ग्लेशियरों के समक्ष आसन्न संकट को रेखांकित किया गया है। दुनिया के कई ग्लेशियर पिछले हिमयुग के दौरान बने थे। ये ग्लेशियर हजारों सालों से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं। लेकिन आने वाले समय में इस स्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक ताजा अध्ययन से पता चलता है कि इस सदी के अंत तक दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने कार्बन उत्सर्जन के विभिन्न परिदृश्यों के तहत ग्लेशियरों की संभावित क्षति का अनुमान लगाया है। उन्होंने पृथ्वी के सभी ग्लेशियरों को ध्यान में रखा जिनकी संख्या दो लाख है। अध्ययन से मिले आंकड़े डराने वाले हैं। यदि कार्बन का उत्सर्जन उच्चस्तर पर हुआ तो सभी ग्लेशियरों में से 54 प्रतिशत तक ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। आल्प्स में यह संख्या 75 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। पिछले साल किए गए एक अध्ययन से पता चला था कि हिमालय के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के जारी रहने पर सदी के अंत तक उनके द्रव्यमान में 80 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है। नए अध्ययन के मुख्य लेखक और ग्लेशियर वैज्ञानिक हैरी ज़ेकोलारी ने कहा कि ग्लेशियर दुनिया के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियरों में होने वाले परिवर्तन सीधे हमारे समाज और प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्लेशियर प्राकृतिक खतरों का कारण बन सकते हैं। ग्लेशियर स्थानीय जल आपूर्ति निर्धारित करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्लेशियरों के पिघलने के परिणाम दूरगामी होंगे। पिघलते हुए ग्लेशियर समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान करते हैं जो तटीय कस्बों और शहरों में बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है।